

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम क्रमांक 12)

आरजे४४

7 अगस्त 1950 को महामहिम राजप्रमुख द्वारा बनाया गया।

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के विनियमन के लिए एक अधिनियम।

जबकि राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के गठन और विनियमन के लिए प्रावधान करना समीचीन है; इसे इस प्रकार अधिनियमित किया गया है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ। - (1) इस अधिनियम को राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी अधिनियम, 1950 कहा जा सकता है।

(2) [इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक है।]

(3) यह तुरंत लागू होगा।

2. परिभाषा। - (1) इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, -

(1) "कमांडेंट", "सहायक कमांडेंट" और "एड्जुटेंट" का अर्थ राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के उन कार्यालयों में [राज्य सरकार] द्वारा नियुक्त व्यक्ति है।

(2) [...]

(3) "राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारी" का अर्थ इस अधिनियम के तहत राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी में नियुक्त एक व्यक्ति है, जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं।

(4) अभिव्यक्ति "विश्वास करने का कारण", "आपराधिक बल" और "हमला" के वही अर्थ हैं जो उन्हें क्रमशः केंद्रीय विधानमंडल की भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं।

(5) "वरिष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के एक अधिकारी के संबंध में उस रैंक का कोई भी अधिकारी है जो निर्धारित रैंक से अधिक है।

(6) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित है।

[(7) "महानिरीक्षक" और "उपमहानिरीक्षक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा क्रमशः पुलिस महानिरीक्षक

और पुलिस उपमहानिरीक्षक के विनियमन के लिए लागू कानून के तहत नियुक्त व्यक्तियों से है।

राजस्थान राज्य में पुलिस बल।]

[महानिरीक्षक] में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस भी शामिल होंगे।

[(2) इस अधिनियम में, केंद्रीय विधान के पुलिस अधिनियम, 1861 के संदर्भ को उस अधिनियम के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जैसा कि राजस्थान के पुनर्गठन पूर्व राज्य में अपनाया गया था।]

3. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी की स्थापना। - सरकार द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी नामक एक बल का गठन और रखरखाव किया जाएगा और इसे एक या एक से अधिक [बटालियनों] में इस तरह से और ऐसी अवधि के लिए गठित किया जाएगा जो पूर्व निर्धारित हो।

[3ए. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी पर नियंत्रण एवं प्रशासन] - राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का नियंत्रण और निर्देशन महानिरीक्षक और ऐसे उप महानिरीक्षक में निहित होगा, जैसा राज्य सरकार निर्देशित करेगी।

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्देश के अधीन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी की एक बटालियन का प्रशासन उसके कमांडेंट और ऐसे सहायक कमांडेंट में निहित होगा, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश देगी।"

4. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों का नामांकन और निर्वहन। - किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पहले से ही राजस्थान पुलिस बल में नामांकित हो या नामांकित न हो, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का अधिकारी नियुक्त किए जाने से पहले, अनुसूची में विवरण पढ़ा जाएगा; और यदि आवश्यक हो, तो उसे मजिस्ट्रेट, [महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक] कमांडेंट, या सहायक कमांडेंट द्वारा समझाया गया है, उसके द्वारा इस बात की स्वीकृति में हस्ताक्षर किए जाएंगे कि उसे इस तरह पढ़ा और समझाया गया है -40 उसे और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाएगा, [महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक] कमांडेंट, या सहायक कमांडेंट, जैसा भी मामला हो।
5. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के सदस्यों को पुलिस अधिकारी माना जाएगा। - हमेशा धारा 6 से 8 के प्रावधानों के अधीन, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के प्रत्येक सदस्य को, उसकी नियुक्ति पर और जब तक वह उसका सदस्य बना रहेगा, एक पुलिस अधिकारी माना जाएगा और किसी भी नियम, शर्तों के अधीन होगा। और प्रतिबंध, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, सभी शक्तियों, विशेषाधिकार देनदारियों, दंडों को रखने और उनके अधीन होने के लिए, जहां तक वे इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम से असंगत नहीं हैं; विधिवत नामांकित एक पुलिस अधिकारी के रूप में दंड और सुरक्षा केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861, या उस समय लागू किसी अन्य कानून, या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के आधार पर दी जाती है।

6. अधिक जघन्य अपराध। - राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का एक अधिकारी जो-

(ए) किसी विद्रोह या राजद्रोह को शुरू करता है, उत्तेजित करता है, कराता है या उसमें शामिल होता है या किसी विद्रोह या राजद्रोह में उपस्थित होता है, उसे दबाने के लिए अपने अधिकतम प्रयासों का उपयोग नहीं करता है, या किसी विद्रोह या किसी के अस्तित्व को जानते हुए या उस पर विश्वास करने का कारण रखता है। विद्रोह करने का इरादा रखता हो, उसकी सूचना अपने कमांडिंग या अन्य वरिष्ठ अधिकारी को बिना देर किए नहीं देता; या

(बी) अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास करता है या उस पर हमला करता है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या बाहर; या

(सी) किसी पोस्ट या गार्ड को छोड़ देता है या सौंप देता है जो उसके प्रभार के लिए प्रतिबद्ध है या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है; या

(डी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत के खिलाफ या शत्रुतापूर्ण हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पत्राचार करता है या उसकी सहायता करता है या राहत देता है या अपने कमांडिंग या अन्य वरिष्ठ अधिकारी को अपनी जानकारी में आने वाले ऐसे किसी भी पत्राचार का तुरंत खुलासा करने से चूक जाता है; या

(ई) सेवा छोड़ देता है; दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या चौदह वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

7. कम जघन्य अपराध। - राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी का एक अधिकारी जो-

(ए) किसी संतरी पर हमला या हमला करता है; या

(बी) गिरफ्तारी या कारावास में होने पर, सामने की गिरफ्तारी या कारावास से बच जाता है; या

(सी) अपने कार्यालय के निष्पादन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति घोर अवज्ञाकारी या ढीठ है; या

- (डी) राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के किसी भी रैंक या पद पर अधीनस्थ अधिकारी के साथ दुर्भावनापूर्ण दुर्घटवहार करना; या
- (ई) दुर्भावनापूर्ण, या दिखावा करता है, या उसमें बीमारी या दुर्बलता पैदा करता है या जानबूझकर देरी करता है, उसके रुखेपन को दूर करता है, या उसकी बीमारी या दुर्बलता को बढ़ाता है; या
- (च) संतरी होने के नाते, अपने पद पर रहते हुए सोता है; या
- (छ) नियमित रूप से कार्यमुक्त हुए बिना या छुट्टी के बिना अपना पोस्ट गार्ड, पिकेट पार्टी या गश्त छोड़ देता है। दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

8. छोटी-मोटी सजा.- (1) [महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक या कमांडेंट या] [ऐसे महानिरीक्षक या उप-महानिरीक्षक या कमांडेंट या सहायक कमांडेंट] या ऐसे अन्य अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, जो निर्धारित किया जा सकता है, औपचारिक परीक्षण के बिना, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के हेड कांस्टेबल या उससे नीचे के रैंक के किसी भी अधिकारी को, जो उसके अधिकार के अधीन है, अनुशासन के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए निम्नलिखित में से कोई भी दंड, जो अन्यथा इस अधिनियम में प्रदान नहीं किया गया है या जिसके लिए प्रदान किया गया है। जैसा भी मामला हो, कमांडेंट, सहायक कमांडेंट या अधिकारी की राय इतनी गंभीर प्रकृति की नहीं है कि किसी आपराधिक अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने की मांग की जा सके, यानी:

(ए) क्वार्टर-गार्ड, या ऐसे अन्य स्थान पर कारावास, जिसे उपयुक्त माना जा सकता है, एक अवधि के लिए जिसे कमांडेंट द्वारा आदेश पारित किए जाने पर अट्ठाईस दिन तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी कमांडेंट द्वारा आदेश पारित किए जाने पर सात दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य अधिकारी ऐसे कारावास में कारावास की अवधि के लिए सभी वेतन और भर्ते जब्त करना शामिल होगा।

(बी) सजा ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, थकान या अन्य इयूटी, अवधि में अट्ठाईस दिन से अधिक नहीं, लाइन्स में कारावास के साथ या उसके बिना।

(सी) जुर्माना सात दिन के वेतन से अधिक नहीं होगा।

(2) उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट कोई भी दंड अलग से या किसी एक या अधिक के साथ दिया जा सकता है: बशर्ते कि कारावास और कारावास लगातार अट्ठाईस दिनों से अधिक नहीं होगा, और जुर्माना कारावास के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(3) इस धारा के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।

9. राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल से बर्खास्तगी। - केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861, या किसी अन्य कानून में निहित उल्लंघन के बावजूद, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी का कोई भी अधिकारी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी से बर्खास्तगी का हकदार नहीं होगा [उसके द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए इस्तीफे के अलावा और महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक द्वारा स्वीकृत]:

बशर्ते कि ऐसा महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक अपने निर्देश में ऐसे किसी भी इस्तीफे को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है]

10. प्रत्यावर्तन. - [महानिरीक्षक] धारा 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी समय राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के एक अधिकारी को, जिसे [राजस्थान पुलिस] से हटा दिया गया है, राजस्थान पुलिस में वापस कर सकता है।

11. कारावास का स्थान. - (1) इस अधिनियम के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को, केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी भी बात के बावजूद, राजस्थान पुलिस बल से बर्खास्त

कर दिया गया माना जाएगा। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी और निकटतम् या ऐसी अन्य जेल में कैद किया जाएगा जैसा कि सरकार सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है।

(2) इस अधिनियम के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को, यदि [महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक या कमांडेट] या उसके नियंत्रण के अधीन, एक सहायक कमांडेट, ऐसा निर्देश देता है, में कैद किया जा सकता है। क्वार्टर गार्ड या ऐसा अन्य स्थान जिसे [ऐसे महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक या कमांडेट] या सहायक कमांडेट उपयुक्त समझें।

12. अन्य कानूनों के तहत अभियोजन को बचाना। - इस अधिनियम में कुछ भी किसी व्यक्ति को केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत या उस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी आदेश या नियम या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम या किसी कार्य या चूक के तहत मुकदमा चलाने से नहीं रोकेगा। इसके तहत दंडनीय है, या उत्तरदायी होने से, यदि ऐसा किया जाता है तो इस अधिनियम द्वारा उस कार्य या चूक के लिए प्रदान किए गए किसी अन्य या उच्च दंड से दंडित किया जा सकता है:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

13. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के कमांडेट और द्वितीय कमांड की अनुशासनात्मक और अन्य शक्तियां, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के संबंध में अन्यथा - ऐसे मील के अधीन जो [राज्य सरकार] इस संबंध में बना सकती है [एक उप महानिरीक्षक या एक कमांडेट या सहायक कमांडेट के पास केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत राजस्थान पुलिस बल में नियुक्त पुलिस अधिकारी के संबंध में, जो राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारी नहीं हैं, उनके पास उप निरीक्षक के समान अनुशासनात्मक शक्तियां होंगी। जनरल या] किसी जिले के पुलिस अधीक्षक, उस अधिनियम के तहत उनके संबंध में हैं।

14. राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी को भंग करने या पुनर्गठित करने की [स्लेट सरकार] की शक्तियां । - (1) [राज्य सरकार] [सरकारी राजपत्रित] में अधिसूचना द्वारा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी को भंग या पुनर्गठित कर सकती है या उसकी [बटालियन] कर सकती है।

(2) जब भी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी या उसकी कोई 5 [बटालियन] उप-धारा (1) के तहत भंग या पुनर्गठित की जाती है, तो यह इस अधिनियम या उस समय लागू किसी भी अन्य अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस तरह के अधीन होगी। ऐसी शर्त, जो निर्धारित की जा सकती है, [राज्य सरकार] के लिए ऐसे विघटन या पुनर्गठन की पुष्टि से राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी से किसी भी अधिकारी को सेवामुक्त करने के लिए वैध होंगी, यदि वह केंद्रीय विधानमंडल के पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत नामांकित है, और है पुलिस बल की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गयी है।

15. नियम बनाने की शक्ति. - (1) [स्लेट सरकार] इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्-

(i) गठित की जाने वाली [बटालियनों] की संख्या ;

(ii) राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों का वेतन और सेवा के अन्य नियम और शर्तें;

(iii) किस तरीके से और किन व्यक्तियों को राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है;

(iv) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

अनुसूची

कथन

(धारा 4 देखें)

राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी में आपकी सेवा की अवधि के दौरान किसी भी समय, आप अपने स्वयं के अनुरोध पर अपनी छुट्टी प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। [बटालियन] के बल के समाप्त होने पर, जिसमें आप कुछ समय के लिए तैनात हो सकते हैं, आपको राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी से छुट्टी दे दी जाएगी और, जब तक कि आप राजस्थान में शामिल होने से पहले ही राजस्थान पुलिस बल के पृष्ठ सदस्य नहीं थे राजस्थान पुलिस से सशस्त्र कांस्टेबलरी भी (हालांकि, आप राजस्थान पुलिस बल में पुनः भर्ती के लिए पात्र होंगे) राजस्थान पुलिस बल में बने रहने या उसमें पुनः भर्ती होने की स्थिति में, आपकी सेवाएं राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी में होंगी राजस्थान पुलिस बल में पदोन्नति और पेंशन के लिए गिनती।

पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर यह स्वीकार करते हुए^{*}
कि उपरोक्त उन्हें पढ़ लिया गया है।

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसने जो हस्ताक्षर किया है उसका आशय समझा गया हूँ।

मजिस्ट्रेट,
उप
कमांडेंट या सहायक कमांडेंट।

*[महानिरीक्षक,
महानिरीक्षक]

*कोष्ठक में यह भाग उन अधिकारियों के मामले में हटा दिया जाएगा जो राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी में शामिल होने पर पहले से ही राजस्थान पुलिस बल के सदस्य हैं।